सत्य मार्ग की खोज, सीरीज़-20

मानव समानता

जमाअत इस्लामी हिन्द
दावत नगर, अबुल फ़ज़्ल इन्क्लेव, नई दिल्ली-110025
9810032508, 9650022638
www.islamsabkeliye.com
facebook.com/islamsabkeliyeofficial

मानव-समानता

भेदभावपूर्ण नीति

सामाजिक अन्याय और इन्सानों के बीच जाति, धर्म, क्षेत्र और भाषा के आधार पर भेदभाव प्राचीन युग से आज तक चला आ रहा है। यह भेदभाव आगे बढ़कर घृणा, दुश्मनी, अपमान, ज़ुल्म-ज़्यादती, अत्याचार और मानवाधिकार हनन तक पहुँच जाता है। निहित स्वार्थों के चलते भेदभावपूर्ण व्यवस्था के पक्ष में दलीलें इकट्ठा की गयीं, नियम क़ानून और सिद्धान्त बनाए गए, यहाँ तक कि इस भेदभावपूर्ण नीति को धार्मिक मान्यता भी प्रदान की गई। कई क़ौमों और देशों ने इसे अपनी स्थाई नीति बनाकर कार्य किए।

यहूदियों ने अपनी क़ौम को अल्लाह की चहेती क़ौम ठहराया और धार्मिक कार्यों में भी ग़ैर-यहूदियों को नीचे स्तर पर रखा। हिन्दुओं के यहाँ वर्णाश्रम को धार्मिक मान्यता दी गई, जिसके अनुसार ब्राह्मणों को श्रेष्ठ माना गया। उच्च वर्ग के अतिरिक्त सारे लोग 'दूसरी श्रेणी' के ठहराए गए। शूद्रों को अतिहीन स्थिति में डाल दिया गया और उन्हें बुनियादी मानवाधिकार भी प्रदान नहीं किए गए।

रंगभेद ने अफ़्रीक़ा और अमेरिका के काले लोगों पर जो अत्याचार किए, उनसे इतिहास के पन्ने भरे पड़े हैं और ये अत्याचार आज तक जारी हैं। यूरोपीय लोगों ने अमेरिकी महाद्वीप में घुसकर वहाँ के मूल निवासियों, रेड इंडियन नस्ल पर इसी अवधारणा के तहत नस्लकुशी की।

एशिया और अफ़्रीक़ा के कमज़ोर देशों पर अपना आधिपत्य स्थापित करके जो अमानवीय और भेदभावपूर्ण व्यवहार किए गए और आज इक्कीसवीं शताब्दी में भी जारी हैं, उनका कारण भी यही सोच है कि हमारे देश और हमारी क़ौम से बाहर पैदा होनेवालों की जान, माल और इज़्ज़त पर हाथ डालने में कोई बुराई नहीं है। पाश्चात्य देशों के जातिवाद ने एक जाति को दूसरी जातियों के लिए जिस प्रकार हिंसक बना दिया है, उसके उदाहरण विश्व युद्ध के इतिहास से लेकर आज के समाचार पत्रों और न्यूज़ चैनलों पर देखे जा सकते हैं।

आधुनिक युग में इस समस्या के समाधान में भारत सहित अन्य देशों में जो क़दम उठाए गए उनकी सराहना की जानी चाहिए, मगर व्यावहारिक धरातल पर उन्हें पूर्ण सफल नहीं कहा जा सकता। ऊँच-नीच, भेदभाव तथा अन्य सामाजिक समस्याओं के उन्मूलन में इस्लाम का योगदान प्रभावपूर्ण रहा है, जिसके निम्नलिखित कारण हैं–

1. इस्लाम अपने सुधारात्मक कार्य की शुरुआत बाहर से नहीं, बल्कि अन्दर से करता है और इन्सान के अन्तःकरण, उसकी अन्तरात्मा को झिंझोड़ता है। ईशभय, अपने कार्यों के प्रति जवाबदेही तथा परलोक में ईश्वर के आशीष की प्राप्ति की आकांक्षा, इन्सान के व्यक्तित्व में मज़बूती प्रदान करती है। समाज-सुधार के कार्यक्रमों में यह पहलू बहुत कमज़ोर रहा है।

2. सामाजिक न्याय, मानव-समानता और भाईचारे को इस्लाम ने बड़ी गम्भीरता से लिया और एक ऐसी अवधारणा (Ideology) प्रस्तुत की जो पूर्ण तथा सन्तुलित होने के साथ-साथ व्यावहारिक भी है और आज भी लागू करने योग्य है। इस्लाम ने मानव असमानता में डूबे अरबों की कायापलट कर दी। ऊँच-नीच, काले-गोरे, आक़ा और ग़ुलाम का भेदभाव समाप्त कर दिया। ईशदूत हज़रत मुहम्मद (सल्ल॰*) ने सार्वजनिक घोषणा कर दी थी कि **''अज्ञानताकाल की समस्त रूढ़िवादी परम्पराएँ मेरे पैरों तले हैं।''** अर्थात् पूर्णरूप से निरस्त कर दी गई हैं।

3. नैतिक चेतना और अन्तरात्मा को अपील करने के साथ इस्लाम ने शासन-प्रशासन और क़ानून व्यवस्था द्वारा अधिक बिगड़े लोगों से सख़्ती से निपटने का प्रबन्ध भी किया और आचार संहिता के साथ-साथ दण्ड विधान भी बनाया और उसे अन्तिम विकल्प के रूप में पूर्ण निष्पक्षता के साथ समाज के सभी वर्गों पर लागू किया।

इस्लामी शिक्षाएँ

सामाजिक न्याय, समता-समानता और मानव-समानता संबंधी जो इस्लामी शिक्षाएँ हैं, उनको यहाँ संक्षेप में प्रस्तुत किया जा रहा है।

सभी इन्सान आपस में भाई-भाई हैं

पवित्र क़ुरआन में अनेक स्थानों पर इस तथ्य का उल्लेख किया गया है। सबसे महत्वपूर्ण अंश इस प्रकार है–

“ऐ लोगो ! हमने तुम्हें एक पुरुष और एक स्त्री से पैदा किया और तुम्हें बिरादरियों और क़बीलों का रूप दिया ताकि तुम एक- दूसरे को पहचानो। वास्तव में अल्लाह के यहाँ तुममें सबसे अधिक प्रतिष्ठित वह है जो तुममें सबसे अधिक ईशभय रखता है।” (क़ुरआन 49:13)

क़ुरआन के इस अंश में मानवजाति को प्रत्यक्ष रूप से सम्बोधित करके उस बड़ी बुराई का सुधार किया गया है, जो सदैव विश्वव्यापी फ़साद व बिगाड़ के जड़ में रही है अर्थात् जाति, रंग, भाषा और क़ौम का भेदभाव।

सभी की उत्पत्ति एक ही प्रकार से की गयी

इस्लामी शिक्षाओं के अनुसार सभी इन्सानों के पैदा होने की प्रक्रिया तथा मूल तत्व एक समान हैं ।

“वही है जिसने पैदा किया तुम्हें मिट्टी से, फिर वीर्य से, फिर रक्त के लोथड़े से, फिर वह तुम्हें बच्चे के रूप में निकालता है।” (क़ुरआन 40:67)

इन्सान को ईश्वर ने ससम्मान धरती में बसाया

ईश्वर ने इन्सान को धरती पर आदरपूर्वक रखा है और उन्हें अपनी नेमतें प्रदान की हैं इस सम्मान और आशीष में आदम की सम्पूर्ण नस्ल सम्मिलित है। ऐसा नहीं है कि एक वर्ग को यह गौरव प्राप्त हो और दूसरे को नहीं। ऊँच- नीच, आदर और अनादर इन्सानों के अपने क़ानून तो हो सकते हैं, ईश्वर के नहीं। उसकी दृष्टि में सब बराबर हैं।

“हमने आदम की सन्तान को श्रेष्ठता प्रदान की और उन्हें थल और जल में सवारी दी और अच्छी शुद्ध चीज़ों की उन्हें रोज़ी दी और अपने पैदा किए हुए बहुत से प्राणियों की अपेक्षा उन्हें श्रेष्ठता प्रदान की।” (क़ुरआन 17:70)

एक ईश्वर में विश्वास

इस्लामी शिक्षाओं के अनुसार अल्लाह सम्पूर्ण मानवजाति का पालनहार है। क़ुरआन के सबसे पहले मंत्र में यह घोषणा कर दी गयी

“सारी प्रशंसा सम्पूर्ण जगत के पालनहार के लिए हैं।”

(क़ुरआन 1:1)

तात्पर्य यह है कि अल्लाह किसी विशेष वर्ग या जाति का

रब नहीं, सारे जगत का रब है इसलिए सभी मनुष्य उसके पैदाइशी बन्दे हैं, इसीलिए क़ुरआन अनेक स्थानों पर सीधे इन्सानों को सम्बोधित करता है—

"ऐ लोगों! बन्दगी करो अपने पालनहार की जिसने तुम्हें और तुमसे पहले के लोगों को पैदा किया, ताकि तुम बच सको।" (क़ुरआन 2:21)

हज़रत मुहम्मद (सल्ल॰) सबके लिए

एक ईश्वर में विश्वास के बाद, इस्लामी आस्था का दूसरा महत्वपूर्ण बिन्दु ईशदूतत्व है। अन्तिम ईशदूत हज़रत मुहम्मद (सल्ल॰) सारे इन्सानों के रहनुमा व मार्गदर्शक हैं—

"कहो, ऐ लोगो! मैं तुम सबके लिए अल्लाह का रसूल हूँ।"

(क़ुरआन 7:158)

आप (सल्ल॰) सम्पूर्ण जगत के लिए दयालुता हैं—

"हमने आपको सम्पूर्ण जगत के लिए रहमत (दयालुता) बनाकर भेजा है।" (क़ुरआन 21:107)

धर्मग्रंथ सबके लिए

ईश्वर का अन्तिम सन्देश पवित्र क़ुरआन सभी इन्सानों के मार्गदर्शन के लिए अवतरित किया गया—

"रमज़ान के महीने में क़ुरआन अवतरित हुआ सभी इन्सानों के मार्गदर्शन के लिए।" (क़ुरआन 2:185)

"ऐ इन्सानों! तुम्हारे पास आ गई है नसीहत तुम्हारे रब की ओर से और इसमें उपचार है जो रोग सीनों में हैं और मार्गदर्शन और रहमत है आस्थावानों के लिए।"

(क़ुरआन 10:57)

परलोक

मरने के बाद के जीवन में इस लोक के कर्मों का हिसाब सभी से होगा और अल्लाह पूरे इन्साफ़ के साथ अच्छा बदला या सज़ा देगा। स्वर्ग के आनन्द या नर्क की यातनाएँ कर्मों के आधार पर निर्धारित होंगी न कि जाति और वर्ग के आधार पर। इसमें किसी प्रकार का भेदभाव या सिफ़ारिश नहीं चलेगी।

ईशदूत हज़रत मुहम्मद (सल्ल॰) की शिक्षाएँ

हज़रत मुहम्मद (सल्ल॰) का सम्पूर्ण जीवन ऊँच-नीच और भेदभाव को समाप्त करने को समर्पित था, जिसके उदाहरण इतिहास के पन्नों में देखे जा सकते हैं। यहाँ सामाजिक न्याय के संबंध में आप (सल्ल॰) की शिक्षाओं को उल्लिखित किया जा रहा है, जो आप (सल्ल॰) ने अन्तिम हज के अवसर पर फ़रमाया –

‘‘लोगो! मेरी बात ध्यान से सुनो, हो सकता है इस वर्ष के बाद इस स्थान पर मैं तुमसे कभी न मिल सकूँ। अज्ञानकाल की समस्त रीतियाँ मेरे पैर के नीचे हैं। तुम सबका प्रभु एक है और बाप भी एक है। किसी अरब को किसी ग़ैर-अरब पर बड़ाई नहीं, न किसी गोरे को किसी काले पर, हाँ बड़ाई तो केवल ईशभय के आधार पर है।’’ (हदीस)

इसी तरह मक्का-विजय के अवसर पर मक्कावासियों को सम्बोधित करते हुए आप (सल्ल॰) ने इरशाद फ़रमाया–

‘‘अल्लाह प्रलय के दिन तुम्हारा गोत्र या वंश नहीं पूछेगा, अल्लाह के यहाँ सम्मानवाला वह है, जो सबसे अधिक ईशभय रखता है।’’ (हदीस)

‘‘अल्लाह तुम्हारी सूरतें और तुम्हारी दौलत नहीं देखता, वह तो तुम्हारे मन और कर्म देखता है।’’ (हदीस)

असमानता पर कुठाराघात

इस्लाम एक ओर तो समता-समानता और सामाजिक न्याय को धरती पर देखना चाहता है, तो दूसरी ओर ऐसे तमाम कारणों व कारकों को जड़ के साथ नष्ट करता है, जो असमानता को पैदा करते तथा उसे पोषित करते हैं। मुख्य बिन्दु इस प्रकार हैं–

जाति, नस्ल (Race)

आदमी किस जाति में पैदा हुआ यह प्राचीनकाल से आज तक ऊँच-नीच और असमानता का महत्वपूर्ण कारक रहा है। भारत में दलित, अरब में ग़ैर-अरब और दास, यहूदियों में अपनी नस्ल से बाहर के लोग वह मान-सम्मान व रुतबा न रखते, जो सवर्ण या अरबवाले या यहूदी रखते थे। इसी तरह यूनानी, ईरानी, अलग-अलग सामाजिक स्थान रखते थे।

इस्लाम ने इसको समाप्त किया कि तुम सब एक जोड़े की सन्तान हो। अलग-अलग क़बीले और गोत्र, छोटा-बड़ा नहीं बनाते; यह तो मात्र पहचान के लिए है।

रंग (Colour)

भेदभाव का बड़ा कारण आदमी की त्वचा का रंग भी रहा है। काले (Negroes) तथा गोरे (Whites) के बीच रंग भेद पर बहुत कटुता रही है। गोरे, कालों को इन्सान मानने को तैयार नहीं थे। अनेक प्रयासों के बाद भी अपेक्षित सुधार नहीं लाया जा सका। पवित्र क़ुरआन में विभिन्न रंग होना एक प्राकृतिक मामला बताया गया है। (क़ुरआन 35:27-28)

भाषा

भाषा के आधार पर किसी को ऊँचा-नीचा समझने को इस्लाम स्पष्ट रूप से नकारता है। अरबवासी अपनी भाषा पर इतना अधिक गर्व करते थे कि अरबी न बोलनेवालों को 'गूंगा' कहते थे। क़ुरआन ने बताया कि

''ईश्वर ने हर समुदाय में अपने दूत भेजे और वे अपनी क़ौम की भाषा ही बोलते थे।''

(क़ुरआन 14:4)

ईशदूत हज़रत मुहम्मद (सल्ल॰) ने अपने शिष्यों को हेब्रु तथा सुरयानी आदि विदेशी भाषा सीखने को प्रेरित किया।

क्षेत्रवाद

इन्सानों के पैदा होने तथा रहने-बसने के स्थानों को भी ऊँच-नीच और भेदभाव का कारण बना लिया गया। अलग-अलग क्षेत्रों में जीवन व्यतीत करने को इस्लाम एक स्वाभाविक क्रिया के रूप में देखता है जैसा कि क़ुरआन के इस अंश से स्पष्ट है—

''कह दो! वही है जिसने तुम्हें धरती में फैलाया और उसी की ओर तुम एकत्र किए जाओगे।'' (क़ुरआन 67:24)

पेशा

इन्सान अपनी रोज़ी-रोटी कमाने के लिए कौन-सा पेशा अपनाता है, यह ऊँच-नीच का एक बड़ा कारण बना। भारतीय सामाजिक व्यवस्था में इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। आध्यात्म तथा विद्या के क्षेत्र से जुड़े लोगों को समाज में ऊँचा स्थान प्राप्त था। सेवा-कार्य करनेवालों को नीचा स्थान मिला।

सेवकों में भी दर्जा बन्दी हुई और कुछ दलित और शूद्र कहलाए। इस्लाम ने भेदभाव के इस द्वार को बन्द किया। हज़रत मुहम्मद (सल्ल॰) ने श्रम व परिश्रम को सम्मान प्रदान किया। आपने फ़रमाया—

"किसी ने इससे बेहतर रोटी कभी न खायी कि अपने हाथ की कमाई से खाए। अल्लाह के सन्देशवाहक हज़रत दाऊद (अलैहि॰*) अपने हाथ के परिश्रम की कमाई खाते थे।" (हदीस)

महिलाओं के दर्जे को ऊँचा उठाया

इस्लाम ने समाज में महिलाओं के दर्जे (Status) को ऊपर उठाया। कई धर्मों में महिलाओं को पापजननी बताया गया था, इस्लाम ने महिला वर्ग के इस कलंक को धोया। माँ के रूप में उसे अति सम्मानित किया। 'माँ के पैरों तले जन्नत' की शुभ सूचना दी। बेटी को पैदा होने को मुबारक, अच्छा शगुन बताया और उनके लालन-पालन को स्वर्ग मिलने का माध्यम बताया। बेटों को उनपर वरीयता देने से रोक दिया। विवाह के समय उनकी सहमति को महत्व दिया। उन्हें विवाह धन (मेहर) प्राप्त करने का अधिकारी बनाया। आर्थिक स्वतंत्रता और पिता, पति, पुत्र की विरासत में हिस्सेदार बनाया। इस तरह इस्लाम ने मां की सेवाओं को समाज में प्राथमिकता दी है।

"एक व्यक्ति ने ईशदूत हज़रत मुहम्मद (सल्ल॰) से पूछा कि मेरे अच्छे बर्ताव व सद्व्यवहार का सबसे अधिक हक़दार कौन है? आप (सल्ल॰) ने उत्तर दिया, "तुम्हारी मां।" उसने कहा फिर? आपने कहा, "तुम्हारी मां।" उसने पूछा उसके बाद कौन? आपने कहा, "तुम्हारी मां।" जब उस व्यक्ति ने चौथी बार भी यही प्रश्न किया तो आपने उत्तर में कहा, "तुम्हारे पिता।" (हदीस)

इस प्रकार महिलाओं के साथ हो रहे भेदभाव को इस्लाम ने पूर्णतया समाप्त किया।

***(सल्ल॰) : सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम, अर्थात् उन पर अल्लाह की रहमत (दयालुता) और सलामती हो।**

अधिक जानकारी के लिए सम्पर्क करें :

dawah.jih@gmail.com